



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 116]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 13, 2017/पौष 23, 1938

No. 116]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 13, 2017/PAUSA 23, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2017

का.आ. 127(अ).—केन्द्र सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा सां.आ. संख्या 1166 (ड.) के तहत दिनांक 29 अप्रैल, 2014 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है-

उक्त अधिसूचना में "खण्ड 8(सी) (ii) के अंतर्गत निगम द्वारा निर्वाचित" शीर्षक के अंतर्गत क्रम संख्या 8 से 10 के समक्ष, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाए नामतः :-

- क्र.सं. 8- श्री जी.पी.श्रीवास्तव,
वरिष्ठ सलाहकार, एएसएसओसीएएम
- क्र.सं. 9- डॉ. यू.डी चौवे,
डीजी, एससीओपीई
- क्र.सं. 10- श्री रामाकांत भारद्वाज,
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लघु उद्योग भारती

उक्त अधिसूचना में "खण्ड 8(सी) (iii) के अंतर्गत निगम द्वारा निर्वाचित" शीर्षक के अंतर्गत क्रम संख्या 11 से 13 के समक्ष, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाए नामतः -

- क्र.सं. 11- श्री राम किशोर त्रिपाठी,
सचिव, एचएमएस
- क्र.सं. 12- श्री प्रशांत नंदी चौधरी,
राष्ट्रीय सचिव, सीआईटीयू
- क्र.सं. 13- श्री अजीत श्रीपद कुलकर्णी,
बीएमएस

उक्त अधिसूचना में “खण्ड 8(सी) (iv) के अंतर्गत निगम द्वारा निर्वाचित” शीर्षक के अंतर्गत क्रम संख्या 14 के समक्ष, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाए नामतः -

- क्र.सं. 14- वैद्य श्री देवेन्द्र त्रिगुणा
अखिल भारतीय आयुर्वेदिक कांग्रेस

[सं. यू- 16012/03/2013-एसएस-1]

राजीव अरोडा, संयुक्त सचिव, भारत सरकार

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2017

S.O. 127(E).— In exercise of the powers conferred by Section 8 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendments in the Ministry of Labour & Employment Notification published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide S.O.No.1166(E) dated 29th April,2014--

In the said Notification, under the heading “Elected by the Corporation under Section 8(c)(ii)”, against S.No.8 to 10, the following entries shall be substituted namely:-

- S. No.8- Shri G.P.Srivastava,
Senior Advisor, ASSOCAM
- S.No.9- Dr.U.D.Choubey,
DG, SCOPE
- S.No.10 Shri Rama Kant Bhardwaj,
National Vice President, Laghu Udyog Bharti

In the said Notification, under the heading “Elected by the Corporation under Section 8(c)(iii)”, against S.No.11 to 13, the following entries shall be substituted namely-

- S.No.11 Shri Ram Kishore Tripathi,
Secretary, HMS
- S.No.12 Shri Prasanta Nandi Chowdhury,
National Secretary,CITU
- S.No.13 Shri Ajit Sripad Kulkarni,
BMS

In the said Notification, under the heading “Elected by the Corporation under Section 8(c)(iv)”, against S.No.14, the following entry shall be substituted namely-

- S.No.14 Vaidya Shri Devendra Triguna
All India Ayurvedic Congress

[F. No.U-16012/03/2013-SS-I]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.